# मानवाधिकार शिक्षण के सन्दर्भ में शिक्षक हेतु शिक्षण विधि एवं दक्षता का विकास

**डॉ0 संगीता**

मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसमें सभी मानव प्राणी हकदार है। अधिकारों एवं स्वतंत्रता को उदाहरण के रूप में गणना की जाती है। उनमें नागरिक ओर राजनैतिक अधिकार सम्मिलित हैं जैसे कि जीवन और स्वतन्त्र रहने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार और कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों मे भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं बाद के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में ऐसी अनेक अवधारणाएं हैं जिन्हें मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किय जा सकता है।

आधुनिक मानवाधिकार कानून तथा मानवाधिकार की अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं समसामायिक इतिहास से सम्बन्ध है। मानवाधिकार शिक्षा के लिए जनसंचार के साधनों, टी0वी0 आदि को सामुदायिक केन्द्र के अन्तर्गत प्रयोग किया जाता है। मानवाधिकारों को विषयवस्तु का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। जिससे विश्व के अधिकाधिक नागरिकों को जागरूक किया जा सके। मानवाधिकार संस्कृति का विकास तभी संभव है जब इसके व्यावहारिक उपयोग हेतु सशक्त शिक्षण विधि व दक्षता को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयोग किया जाये ताकि इसके माध्यम से शिक्षक अपनी प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका हेतु तैयार हो सकें।